दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा

(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)

ऊर्जा भवन, 220 के.वी. उपसंस्थान बाई पास रोड, सिकन्दरा, आगरा– 282007

E-mail – saubhagyadvvnl@gmail.com

CIN: U31200UP2003SGC027460

पत्रांक: 1189 /प्र0नि0/द0वि0वि0नि0लि0/तक0/ दिनांक:– 13/5/2020

कार्यालय ज्ञाप

मुख्य अभियन्ता (वितरण), झांसी ने अपने कार्यालय पत्र सं0 4862/मु0अ0/झांसी/ई–1/दिनांक 26.02.2020(पताका–क) के द्वारा निर्माणाधीन 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बबीना, झांसी से 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र बबीना एवं 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र एम0ई0एस0 (बबीना) एवं 33/11 के0वी0 बी0एच0ई0एल0 उपकेन्द्रों को जोड़ने हेतु प्राक्कलन इस कार्यलय को स्वीकृत हेतु प्रेषित किया है जिसका विवरण निम्न है।

क्रम सं0	पत्रांक/ दिनांक	जनपद	कार्य का विवरण	योजना का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)
1	4862/ 26.02.2020	झांसी	नवनिर्मित 220 के0वी0 उपकेन्द्र बबीना झांसी से 33/11 विद्युत उपकेन्द्र बबीना एवं बी0एच0ई0एल0 को स्वतंत्र विद्युत आपूर्ति हेतु 6.4 किमी डबल सर्किट 33 के0वी0 लाईन का निर्माण करना।	बि0प्लान 2020–21 की प्रत्याक्षा में	236.27
2			नवनिर्मित 220 के0वी0 उपकेन्द्र बबीना झांसी से 33/11 विद्युत उपकेन्द्र एम0ई0एस0 को स्वतंत्र विद्युत आपूर्ति हेतु 6.3 किमी 33 के0वी0 लाईन का निर्माण करना।		133.36
				कुल योग	369.63

पूर्व में स्वीकृत धनराशि रू0 491.16 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 701/प्र0नि0/द0वि0वि0नि0लि0/तक0 दिनांक 29.02.2020 को निरस्त करते हुए उपरोक्त कार्य के संशोधित प्रांकलन को बिजनेस प्लान वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत निम्न प्रतिबन्धों के साथ कार्य का प्रशासनिक एवं तकनीकी अनुमोदन दिया जाता है।

1. प्रांकलन को वर्तमान रेस्पो/स्टाक/लागू नियमों के आधार पर बनाया जायें।
2. प्राकलन जी0पी0एस0 कार्डिनेट (वास्तविक स्थलीय निरीक्षण/मापन) के अनुसार ही सम्पादित कराया जायें।
3. कार्य की महत्वता/औचित्य यदि आवश्यक हो के अनुसार नियमानुसार कराया जायें।
4. कार्य पूर्ण होने पर समस्त रिकार्ड सुरक्षित रखा जायें।
5. साइट से प्राप्त 90 प्रतिशत सामग्री को विद्युत भण्डार केन्द्र में जमा कराये जाने की जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता की होगी।
6. कार्य पूर्ण होने के पश्चात यथानिर्मित (As Executed) प्राकलन बनाया जायें और अनुबन्ध की प्रति एवं पूर्व स्वीकृत प्राकलन की सत्यापित प्रति कार्यदायी संस्था को भुगतान की मांग के साथ तकनीकी विभाग को देना अनिवार्य होगा, जिससे वित्तीय विभाग को मांगपत्र भेजा जा सकें।

13.5.2020

(सौम्या अग्रवाल)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 1189 /प्र0नि0/द0वि0वि0नि0लि0/तक0/ दिनांक:– 13/5/2020

प्रतिलिपि– प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 निदेशक(तकनीकी/वित्त) द0वि0वि0नि0लि0, आगरा।
2 मुख्य अभियन्ता(वितरण) द0वि0वि0नि0लि0, झांसी।
3 मुख्य अभियन्ता(सा0प्र0), द0वि0वि0नि0लि0, आगरा।
4 महाप्रबन्धक(वित्त), द0वि0वि0नि0लि0, आगरा।
5. अधीक्षण अभियन्ता (भण्डार), द0वि0वि0नि0लि0, आगरा।
6. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, झांसी।

(शेष कुमार बघेल)
अधीक्षण अभियन्ता(तक0)